30.5.19 वादी मय वकील उप०।
प्रार्थी जगदीश मय वकील उप०।
सरकारी पैरोकार उप०
वादी की ओर से श्री ~~[illegible]~~ नरेश कुमार Adv. ने प्रा० पत्र एवं वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी श्री जगदीश की ओर से श्री मनोहरदास वैष्णव Adv. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी ने प्रा० पत्र जरिये राजीनामा प्रकरण विड्रो करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से दावे के संबंधित विवादित कृषि भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जा बीजाराम पुत्र हजारी राम एवं इनकी आल औलाद का होने से हम दोनों पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को अब हम चलाना नहीं चाहते है। राज्य सरकार के खिलाफ हम किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में बीजाराम पुत्र हजारी राम एवं इनके वारिसान जगदीश पुत्र बीजाराम एवं कमला बेवा बीजाराम पक्षकार बनाये जाते है तो हमें कोई उज्र एतराज नहीं है। हम दोनों पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते है लिहाजा उक्त प्रकरण जरिये राजीनामा विड्रो फरमावें। प्रा०पत्र पर वादी खपा का अंगुष्ठ निशान एवं

मैं अपना [illegible] को पहिचानता हूँ
[signature]
30/5/19
जगदीश
Returns filed by Manohardas Adv

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्री जगदीश के हस्ताक्षर है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया, वादी द्वारा यह वाद u/s 88,91 सपठित धारा 188 R.T. Act, 1955 के तहत राजस्थान सरकार के विरुद्ध दिनांक 20.7.2010 को वाद प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात दिनांक 09.12.2010 को ~~श्री जगदीश वल्द~~ कमलादेवी बेवा बीजाराम जाति भार सा. उभाकेली ने इस वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रा.पत्र अंतर्गत O.1 R.10 सपठित धारा 151 CPC के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रा. पत्र को दिनांक 01.07.2013 को आदेश पारित कर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थिया कमलादेवी द्वारा माननीय राजस्व मंडल, राज. अजमेर में निगरानी सं. निगरानी/टीए/5171/2013/ जिला पाली प्रस्तुत की गई जिसे प्रार्थिया द्वारा विड्रो कर लेने से दिनांक 03.06.2019 को आदेश पारित कर माननीय राजस्व मंडल द्वारा निगरानी को जरिये विड्रो खारिज कर दिया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2013 को पारित आदेश यथावत रहने से इस वाद में प्रार्थिया कमलादेवी पक्षकार नहीं रह गई है तथा प्रा. पत्र "जरिये राजीनामा प्रकरण विड्रो फरमाने बाबत" पर प्रार्थिया के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा न ही राजीनामा

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

करने का कमलकिशोर अथवा नागदीश को कोई अधिकार है। वादी इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विड्रो करने का निवेदन किया गया है।

अतः वादी का प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वादकारी u/s 88, 91 अपाठित धारा 188 R.T. Act, 1955 को जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुताबिक हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner